सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: **NCST/ATY-2667/MP/87/2025-RU-I** दिनांक: **28.11.2025**

पुलिस अधीक्षक,
जिला- पांढुर्णा,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
पांढुर्णा,-480334, मध्य प्रदेश
ई-मेल: sp_pandhurna@mppolice.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री भवराव उईके को स्थानीय शराब के ठेकेदारों के द्वारा मारपीट करने तथा पुलिस शिकायत करने पर फर्जी आबकारी मुकदमा बनाकर जेल में बन्द करने पर जेल में ही चिकित्सा के अभाव में मृत्यु के संबंध में श्री इंद्रेश चंद्र सोनकर, अधिवक्ता , चेम्बार न0- 263, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली का दिनांक 17.06.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 07.07.2025 (प्रति संलग्न)।

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 18.12.2025** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

Chetan 28.11.25

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री इंद्रेश चंद्र सोनकर,
अधिवक्ता , चेम्बार न0- 263, वेस्टर्न विंग,
तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली।
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।